न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 635--पीबीआर/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 18–12–15 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, सांवेर जिला इंदौर प्रकरण कमांक 04/अपील/2014–15.

1– सुरेश पिता मदनलालजी सांखला
2– हेमन्त पिता मदनलालजी सांखला
3– जितेन्द्र पिता मदनलालजी सांखला
निवासीगण 60, तेजपुर गड़बड़ी, इंदौर .....आवेदकगण

विरूद्ध

श्रीमती सायराबाई पति प्रेमसिंह
निवासी ग्राम बालोदा टाकून
तहसील सांवेर जिला इंदौर .....,अनावेदिका

श्री रवि मेहरा, अभिभाषक, आवेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 5/8/16 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी, सांवेर जिला इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–12–15 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदकगण द्वारा तहसीलदार, सांवेर के आदेश दिनांक 30–8–14 के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, सांवेर जिला इंदौर के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण कमांक

04/अपील/2014–15 दर्ज कर दिनांक 14–10–14 को आवेदकगण के पक्ष में स्थगन आदेश दिया गया । तत्पश्चात दिनांक 18–12–15 को स्थगन आगे नहीं बढ़ाकर निष्प्रभावी किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ प्रकरण में पेशी दिनांक 21–6–2016 को अनावेदिका के तर्क सुने जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ आदेशार्थ रखा गया था कि आवेदकगण के अभिभाषक सात दिवस में लिखित तर्क प्रस्तुत करेंगे, परन्तु उनके द्वारा आज दिनांक तक लिखित तर्क प्रस्तुत नहीं किये गये हैं । अतः प्रकरण का निराकरण अनावेदिका की ओर से प्रस्तुत तर्कों एवं आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा निगरानी मेमों में उठाये गये आधारों पर किया जा रहा है । आवेदकगण की ओर से निगरानी मेमों में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा बिना आवेदकगण को सुनवाई का अवसर दिये स्थगन निष्प्रभावी घोषित करने में गंभीर त्रुटि की गई है, इसलिए उनका आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।

(2) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पूर्व में मामला प्रथम दृष्टया आवेदकगण के पक्ष में मानते हुए एवं सुविधा का संतुलन, और अपूर्णीय क्षति के बिन्दु को भी आवेदकगण के पक्ष में मानते हुए स्थगन प्रदान किया गया था, इसके बाद बिना आवेदकगण को सुने स्थगन निरस्त करने में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों की अवहेलना की गई है ।

उनके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदिका की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया कि पूर्व में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अनावेदिका के उपस्थित होने तक स्थगन आदेश दिया गया था, और चूंकि अनावेदिका उपस्थित हो गई थी, इसलिए स्थगन आगे नहीं बढ़ाया जाकर निष्प्रभावी घोषित करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विधिसंगत कार्यवाही की गई है, अतः उनका आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

5/ आवेदकगण की ओर से निगरानी मेमों में उठाये गये आधारों पर एवं अनावेदिका की ओर से प्रस्तुत प्रस्तुत तर्कों के सदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक

14–10–2014 को अनावेदिका के उपस्थित होने तक स्थगन आदेश दिया गया है, और दिनांक 18–12–2015 को अनुविभागीय अधिकारी द्वारा यह पाते हुए कि अनावेदिका प्रकरण में उपस्थित हो गई है, और प्रकरण में स्थगन आगे नहीं बढ़ाया गया है, स्थगन को निष्प्रभावी किया गया है । उपरोक्त कार्यवाही में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता की जाना परिलक्षित नहीं होती है । अतः अनुविभागीय अधिकारी का आदेश हस्तक्षेप योग्य नहीं होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी, सांवेर जिला इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–12–15 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर